संख्या-442/2020/2265/22-2-2019-17(962)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 15 अक्टूबर, 2020***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालाराम पुत्र श्री कन्हईलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-26.06.2019) दिनांक-08.08.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालाराम पुत्र श्री कन्हईलाल, ग्राम-मोहम्मद गंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बंदी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी। बंदी द्वारा चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को सायं लगभग 5:00 बजे 35 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बंदूक, देशी तमंचा, बांका, सूजा, लाठी, बल्लम से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 302/149, 307/149, 506 एवं 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 15 वर्ष 01 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 07 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न आने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, अशक्त प्रतीत नहीं होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी के अपराध करने में अशक्त न होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी द्वारा चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को 35 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बंदूक, देशी तमंचा, बांका, सूजा, लाठी, बल्लम से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी लालाराम पुत्र श्री कन्हईलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी लालाराम (बन्दी संख्या-15594) पुत्र श्री कन्हईलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-442/2020/2265(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-442/2020/2265/22-2-2019-17(962)/2019

दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालाराम (बन्दी संख्या-15594) पुत्र श्री कन्हईलाल, ग्राम-मोहम्मद गंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बंदी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी। बंदी द्वारा चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को सायं लगभग 5:00 बजे 35 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बंदूक, देशी तमंचा, बांका, सूजा, लाठी, बल्लम से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 302/149, 307/149, 506 एवं 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 15 वर्ष 01 माह **17** दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 07 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न आने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, अशक्त प्रतीत नहीं होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी के अपराध करने में अशक्त न होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी द्वारा चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को 35 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बंदूक, देशी तमंचा, बांका, सूजा, लाठी, बल्लम से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी लालाराम पुत्र श्री कन्हईलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।